

2022/84

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला नजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बार्ता (राज.)

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
49/22	55, 188 RJA	औपल	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
गोबरी	बनाम	रामदयाल वर्मा	

वकील :- उपस्थित ओरुकादि एडवो. **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक **कार्यवाही एवं आदेश** विविध संदर्भ

7/22
अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा, 212 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/8/22 को पेश हों। ✓

13/8
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण 1, 3 व 5 का वाद तहसील सम्मन प्राप्त। प्रतिवादी 2 की ओर श्री ए.नेश लोचान एडवो. का बकालत नामा पेश हुआ। प्रतिवादी 3 का पत्रावली के अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एकराज्य कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी 4 की तलवी हेतु तलवीनी आज ही पेश करें। करते तलवी तलवीनी / पत्रावली दिनांक 29/8/22 को पेश हों। ✓

29/8
अपने नियमित अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 9/11/22 को पेश हों।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारा)

9/11
पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी 3 व 4 की तलवी हेतु तलवीनी पेश करें। करते तलवी पत्रावली दिनांक 14/11/22 को पेश हों। ✓

पञ्जाब की पेशा उद्योग नुकसान करीके उपा. वकील का
 हता जाई काही कु ५ की तलवी हेतु तलवाना पेश
 नहीं किया हर्ष से कर्ष अकलर रिफे नर लुके रे काही
 का काड तलवाना के अगान के आदेश १ दिना 5 के तहत
 लोडक किया जाता है पञ्जाब की केवल सुगाट एकल काड
 तामील वकमील के दखिल उफर है

